मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/मुप्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 140 वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी 2016 में एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 2.3 पर लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्रय मार्गदर्शिका 2005 की कण्डिका क्रमांक 1, एवं 29 निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं एवं मार्गदर्शिका में बिन्दु क्रमांक 37 के अंत में बिन्दु क्रमांक 38 एवं 39 प्रतिस्थापित की जाती हैं :–

1 रूपये 2500 के स्थान पर रूपये 5000/– तक की राशि के क्रय की शक्तियाँ बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रभारियों को होंगी ।

29 महंगे एवं संवेदनशील प्रयोगशाला उपकरणों जैसे एटॉमिक एब्सॉर्पशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफ, एफ. टी. आई. आर., जी. सी.–एम. एस., यू.वी. स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, टी ओ सी एनालाइजर आदि के सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु निर्माता फर्म या उनके अधिकृत डीलर से रूपये 50000/– राशि तक के वार्षिक रख–रखाव अनुबंध की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रयोगशाला प्रभारी या अन्य सक्षम अधिकारी को होंगी ।

38 रूपये 30,000/– तक की राशि के कार्य कराने/सामग्री क्रय करने/सुधार कार्य की स्वीकृति के अधिकार मुख्यालय में क्रय प्रभारी को एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी को होंगे ।

39 सामान्यतः वाहनों का क्रय डीजीएसएण्डी रेट पर किया जाये, बोर्ड की आवश्यकता का वाहन डीजीएसएण्डडी रेट पर उपलब्ध नहीं होने पर स्थानीय डीलरों से निगोसिएशन कर क्रय किया जाये ।

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0 क्रमांक 394 /स्था/मुप्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक 26-3-16

प्रतिलिपिः–

1 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

3 प्रभारी अधिकारी, स्थापना/लेखा शाखा/विधि शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

4 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।